तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहनसिंह बनाम राज० सरकार ०/८ को	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/12/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 31/12/24 को पेश हो।	
31/12/24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 29/01/25 को पेश हो।	
29/01/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 19/03/25 को पेश हो।	
19/03/25	पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 5/5/25 को पेश हो।	
5/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त की प्रा० किए हैं। पत्रावली बास्ते बहस दिनांक 14/5/25 को पेश हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
14/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। अभि० प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली बास्ते आदेश दिनांक 23/05/2025 को पेश हो। Bharti	
23/05/2025	पत्रावली पेश हुई। अभि० प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नियम से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Bharti उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः— 09 / 2023

1.मोहनसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी चक नगला वीजा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

2.वहादुरसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी चक नगला वीजा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

3.मानसिंह पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी चक नगला वीजा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

4.सुरेशचंद पुत्र रामदयाल जाति जाटव निवासी चक नगला वीजा तहसील उच्चैन, जिला भरतपुर।

.....प्रार्थीगण

वनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन जिला भरतपुर राज0

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.ए.

उपस्थिति

1.श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—23.05.2025**

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नंवर 38 रकवा 0.75 है0 वाके ग्राम शेरीखुर्द तहसील उच्चैन में स्थित है। नकल जमावंदी संवत् 2078—2078 साथ प्रार्थना पत्र संलग्न है। उक्त विवादित आराजी की खातेदार केशन्ती ,वर्फी देवी ,लज्जोदेवी द्वारा अपने हिस्से की रिलीज डीड हम प्रार्थीगण के हक में करा दिया है। इसलिए उन्हें पक्षकार मुकदमा नहीं वनाया गया है। प्रार्थीगण ग्राम चक नगला वीजा तहसील उच्चैन के निवासी हैं। जैसा कि जमावंदी संवत 2066 लगायत 2069 में खाता संख्या 61 पर हम प्रार्थीगण के पिता का पता चक नगला वीजा दर्ज है। लेकिन जमावंदी संवत् 2075 लगायत 2078 में सहवन से निवासी चक नगला वीजा के स्थान पर सा0 देह खातेदार यानि की हम प्रार्थीगण का पता शेरीखुर्द कर दिया है जो कि गलत है। प्रार्थीगण उक्त सहवनी गलती को शुद्ध करा पाने के अधिकारी हैं। उक्त सहवनी भूल के कारण प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी को रहन रख कृषि विकास हेतु लोन नहीं ले पाते हैं और ना ही प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि का हम प्रार्थीगण को लाभ मिल पाता है। इसलिए हम अपने खातेदारी अधिकारों से महरूम हो जाते हैं। दिनांक 18.04.2023 को जव हम प्रार्थीगण तहसील में तहसीलदार उच्चैन के समक्ष उक्त अशुद्धि को सही कराने गये तो तहसीलदार उच्चैन ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के विना हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके कारण प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार उच्चैन ने अपना जबाब पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम शेरीखुर्द के आराजी खसरा नंबर 38 रकबा 0.75 है0 हाल जमाबंदी संवत् 2075–2078 में वादीगण का इंद्राज मोहनसिंह, बहादुरसिंह, मानसिंह, सुरेशचंद पिसरान रामदयाल व. हि. बराबर 1/4 जाति जाटव सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम शेरीखुर्द की आधार वर्ष संवत् 2074 जमाबंदी में भी उक्त वादीगणों का इंद्राज हाल जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। संवत् 2066–2069 में संबंधित ख0 नं0 34 मि.(पुराना) रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा में उक्त वादीगण के पिता का पता सा. चक नगला बीजा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2070–2073 में वादीगण के पिता रामदयाल पुत्र फुसिया तथा द्रोपती पत्नि रामदयाल की साकिन चक नगला बीजा दर्ज रिकार्ड है। उक्त की विरासत नामांतरण सं0 कमशः 56 दिनांक 01.04.2022एवं नामां0 सं0 69 दिनांक 30.09.2022 से विरासत दर्ज हुई है।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये जमाबंदी संवत् 2066 लगायत 2069 में हो रहे इंद्राज चक नगला बीजा के आधार पर जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 में सा0 देह को कलमजन कर हम प्रार्थीगण का निवास चक नगला बीजा घोषित करने के संबंध में निवेदन किया।

मेरे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं जबाव तहसीलदार का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र ,राजस्व रिकार्ड एवं जबाव तहसीलदार के अवलोकन से स्पष्ट है कि संवत् 2066–2069 में संबंधित ख0 नं0 34 मि.(पुराना) रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा में उक्त वादीगण के पिता का पता सा. चक नगला बीजा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत् 2070–2073 में वादीगण के पिता रामदयाल पुत्र फुसिया तथा द्रोपती पत्नि रामदयाल की साकिन चक नगला बीजा दर्ज रिकार्ड है। उक्त की विरासत नामांतरण सं0 कमशः 56 दिनांक 01.04.2022 एवं नामां0 सं0 69 दिनांक 30.09.2022 से विरासत दर्ज हुई है। अतः ख0 नं0 38 रकबा 0.75 है0 बाके ग्राम शेरीखुर्द में राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार उच्चैन की रिपोर्ट अनुसार मोहनसिंह, बहादुरसिंह, मानसिंह, सुरेशचंद पिसरान रामदयाल व. हि. बराबर 1/4 जाति जाटव सा. चक नगला बीजा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी आराजी ख0 नं0 38 रकबा 0.75 है0 बाके ग्राम शेरीखुर्द तहसील उच्चैन में वादीगण का इंद्राज मोहनसिंह, बहादुरसिंह, मानसिंह, सुरेशचंद पिसरान रामदयाल व. हि. बराबर 1/4 जाति जाटव सा. देह खातेदार में सा. देह को कलमजन कर प्रार्थीगण का निवास(पता) सा. देह के स्थान पर चक नगला बीजा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन, भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)